भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3201

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय रक्षोपायों का अनुपालन नहीं किया जाना

3201. श्री संजय सिंहः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवीनतम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट, 2019 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों का अनुपालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : "खनन कार्यकलापों और कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों में खनन की कमी के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन" के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार अधिदेशित उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का न होना, पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन न करने की घटनाएं, वर्ष 2013-18 के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिदेशित सीएसआर राशि का कम उपयोग, झरिया मास्टर प्लान का धीमा कार्यान्वयन एवं भूमिगत आग की सीमा का आकलन करने के लिए बीसीसीएल में विशेषज्ञों की कमी, सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति न होना और पर्यावरणीय कार्यकलापों के लिए अनुपयुक्त निगरानी तंत्र जैसी कुछ कमियां मिली है।

(ग) : खनन प्रचालन में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने पर्यावरण और देखभाल एवं संरक्षण पर जोर देकर सतत विकास के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हुए अपनी पर्यावरणीय नीति को अपनाया है।

- सीआईएल की बड़ी खानों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) संस्थापित किए गए हैं। सीआईएल द्वारा 18 सीएएक्यूएमएस पहले ही संस्थापित किए जा चुके हैं और आगामी वर्षों में और अधिक सीएएक्यूएमएस संस्थापित किए जाएंगे।
- ईआईए/ईएमपी के अनुसार जैविक सुधार किया गया और खान प्रचालन के दौरान उत्तरोत्तर रूप से खान समापन योजनाएं शुरू की गई है। वार्षिक जैविक सुधार के लक्ष्य सूक्ष्म निगरानी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। सुधार की प्रगति की निगरानी सैटेलाइट के निरीक्षण के माध्यम से की जाती है।
- सीआईएल की सहायक कंपनियों ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फ्लाई ऐश डंपिग के लिए छोड़ी गई खानों की पेशकश की है।
- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने स्थिर विकास के लिए कार्यनीतिक उपकरण के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अपनाई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर निधि का आवंटन और खर्च किया गया है।
- झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई बीसीसीएल और राज्य के संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की जा रही है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एचपीसीसी द्वारा की गई है। एनआरएससी (नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, आईएसआरओ, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद) ने सतही आग का सर्वेक्षण किया है ओर वर्ष 2018 में एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अंतर्गत आग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है जो 8.9 वर्ग कि.मी. से कम होकर 3.28 वर्ग कि.मी. हो गया है। अब तक, बीसीसीएल द्वारा 7714 आवासों का निर्माण किया गया है और 4084 बीसीसीएल परिवारों को स्थानांतरित किया गया है, 8138 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए), राज्य सरकार प्राधिकरण ने 6352 आवासों का निर्माण किया है और 2152 परिवारों को स्थानांतरित किया है।
- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के निगरानी तंत्र में नियमित आधार पर क्षेत्रीय दौरा और उनकी खानों में अनुपालन की स्थिति को बढ़ाने के लिए सभी सहायक कंपनियों के साथ वीडियो-कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जाने वाली बैठकें शामिल हैं।
- सीआईएल ईसी अनुबंधों के संबंध में उनकी अनुपालन-स्थिति के लिए विभिन्न खानों की जांच करने हेतु आईसीएफआरई से भी जुड़ी हुई है।
- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने ईसी/एफसी शर्तों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक आंतरिक निगरानी तंत्र तैयार किया है और साथ ही समर्पित स्थिर विकास सेल का निर्माण भी किया है।
- कोयला मंत्रालय नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से खनन कंपनियों की ईसी शर्तों और पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्टों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करता है।
- कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण देखभाल और संरक्षण पर स्व-विनियमन के लिए खान प्रचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए खानों की **'स्टार रेटिंग प्रणाली'** को भी लांच किया है।

*****